

संचालनालय लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

क्र ११०४१/ E / मर २२१०/२०१०/३९१

भोपाल, दिनांक २६/८/१०


प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला (M.P.)
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय - विद्यालयों में सप्ताह में २ कालखण्ड स्काउट-गाइड क्रियाकलाप हेतु रखे जाने बाबत।

संदर्भ - दिनांक ०५-०४-२०१० को जो आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार।

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा स्काउट-गाइड क्रियाकलापों शिक्षा का अभिन्न अंग मानते हुये प्रत्येक विद्यालय में स्काउट-गाइड दल गठित कर स्काउट-गाइड गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश दिये हैं। कतिपय विद्यालयों में शासन की मन्शा के अनुसार अभी भी स्काउट-गाइड क्रियाकलाप प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ सभी विद्यालयों के समय विभाजन चक्र में सप्ताह में २ काल खण्ड स्काउट-गाइड के लिये भी रखा जाये और विद्यालयों में स्काउट-गाइड प्रशिक्षित शिक्षकों को स्काउट-गाइड दल संचालित करने के निर्देश देवे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।



आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश